पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ए0-10 / 30–2000–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 2007 ई0
कार्तिक 24, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग

संख्या 1357 / II / 2007–01(400) / 2007
देहरादून, 15 नवम्बर, 2007

## अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

## उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992] (संशोधन) नियमावली, 2007

### भाग 1–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992] (संशोधन) नियमावली, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 15 का प्रतिस्थापन :

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (रेखांकन) सेवा नियमावली, 1992] में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

225

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किया जायेगा या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, प्रकाशित किया जायेगा।

(4) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों एवं अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड़ होगा, के कुल योग से जैसा प्रकट हो, एक सूची तैयार की जाएगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। चयन समिति, सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(5) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

आज्ञा से,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the

स्तम्भ–1
(वर्तमान नियम)

15. (1) सीधी भर्ती प्रक्रिया–अनुरेखक और नक्शानवीस के पद पर सीधी–भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो – सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़े वर्ग का। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर ऐसे उपयुक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उनके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे – सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में जितने वह उचित समझे, अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलाएगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यताक्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत) से अनधिक होगी। समिति नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

स्तम्भ–2
(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

15. (1) सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारूपकार के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) मुख्य अभियन्ता – अध्यक्ष

(दो) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी – सदस्य

(तीन) अधीक्षण अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी, जिसे मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ... सदस्य

टिप्पणी–उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समुदाय के सदस्य को, जिसका पद अधिशासी अभियन्ता से निम्न न हो, नामित किया जायेगा।

(2) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे, जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों।

(3) (एक) चयन के लिए 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का 100 अंक का प्रश्न पत्र तथा तकनीकी ज्ञान का दूसरा प्रश्न–पत्र 100 अंक का होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न–बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।